

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक 3.5.18

संख्या-1/पी0-102/2016 का०- 2880/ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री एल० खियांगते, भा.प्र.से. (झा:1988) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के स्थिर वेतनमान (रु० 2.25 लाख) में प्रोन्नति दी जाती है।

2. स्थिर वेतनमान में प्रोन्नति के उपरान्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड के पद को श्री खियांगते के पदस्थापन अवधि तक के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड के रूप में उत्क्रमित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

3/5/18

(अरुण कुमार सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

झापांक-1/पी0-102/2016 का० - 2880 / राँची, दिनांक 3.5.18

प्रतिलिपि-नोडल पदाधिकारी, ई- गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची/महालेखाकार, झारखंड, राँची/सम्बन्धित कोषागार/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (तीन अतिरिक्त प्रतियों में)/ कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखंड भवन/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड/मुख्य सचिव का कोषांग, झारखंड, राँची/राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, राँची/सदस्य, राजस्व पर्वद, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/ राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, नेपाल हाउस/ सहायक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड, राँची/झारखंड राज्य के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ महाधिवक्ता, झारखंड, राँची/ महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव, झारखंड विधानसभा, राँची/ भूसम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, झारखंड, राँची/राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. श्री एल० खियांगते, भा.प्र.से. (झा:1988) द्वारा धारित किये जाने की तिथि से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड के भा.प्र.से. के गैर संवर्गीय पद को कर्तव्य एवं दायित्व में भा.प्र.से. वेतन नियमावली-2007 के नियम-9(7) के शिड्यूल-III (A) के अन्तर्गत स्थिर वेतनमान में संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया जाता है।

3/5/18

सरकार के अवर सचिव।